No. A-11011/1/2006-VSP(A)
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
*******

Indian Law Institute Building,
Bhagwan Dass Road, New Delhi.
Dated 5 February, 2016

To

........................
........................
........................

Subject: Recruitment of three posts of Assistant Editor (Group A) in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice on deputation (including short term contract/absorption basis(number of vacancies may increase/decrease).

Sir,

I am directed to state that three Group Á'posts of assistant Editor in the pay band-3, and scale of pay of Rs. 156000-39100 plus grade pay of Rs. 6,600/- (Rs.10000-325-15200 pre-revised) belonging to General Central Service, are to be filled up urgently in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice on deputation basis on usual terms.

2. The appointment will be made on deputation (including short-term contract)/absorption from the officers of Central Government/State Government or Union territories or Recognized Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:-

(255)

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) With 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs.8000-13500 (pre-revised) or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

(A) (i) Bachelors' Degree in Law from a recognised University or equivalent:

(ii) (a) Seven years practice as an Advocate in a High Court; or

(b) Seven years experience in State Judicial Service; or

(c) Seven years experience in legislation and legal affairs in the Law Department of a State Government; or

(d) Seven years experience in the Legislative Department of the Central Government; or

(e) Seven years experience in editing in a Department concerned with Law Reports; or

(f) Seven years experience of legislative drafting; or

(g) Seven years experience of translation in Hindi of principal and subordinate legislation; or

(h) Seven years experience in teaching or research in Law; or

(i) Master's Degree in Law from a recognized University or equivalent with eight years experience in teaching or research in Law; and

(B) had studied Hindi as a compulsory or elective subject at Bachelor's Degree level from a recognised University or equivalent and ability to translate and edit Court Judgements in Hindi.

**Note 1** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

**Note 3** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

3. It is requested that the particulars of the eligible persons, who fulfil the required qualification and can be considered for appointment to the above mentioned post and whose service could be spared immediatel7y may be forwarded to this Prakashan in the proforma enclosed along with their vigilance clearance, integrity certificate, no penalty certificate for the last ten years which should be given on a separate sheet, along with copy of the up-to-date A.C.Rs./APARs for the last five years duly authenticate by an office not below the level of Under Secretary, so as to reach the undersigned latest within 45 days from the date of publication in the Émployment News'.

(62)
(X)

4. Those who apply for the post will not be allowed to withdraw their names afterwards.

5. Hindi version is enclosed.

Yours faithfully,

(C. Mohandas)

Under Secretary to the Govt. of India

To

1. All Ministries/Department of the Government of India with the request to circulate the post in the Ministry/Deptts and also among their attached and subordinate offices including Universities/Recognised Research Institutions/Semi Government/ Autonomous Organizations under their administrative control for wide publicity.

2. Chief Secretaries to the all State Governments with the request to circulate the post in the Departments under the administrative control of the state Government for wide publicity.

3. The Director, Employment News, R.K. Puram, New Delhi, with the request that this circular may please be published immediately in the forthcoming issue of the Employment News for giving wide publicity. Hindi version of this is enclosed.

4. Chief Editor, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.

5. Chief Editor, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

6. President, Scientific and Technical Teminology Commission, D/o Educ: Shastri Bhavan, New Delhi.

7. Director, Central Hindi Directorate, D/o Education, RFK Puram, New Delh

8. Secretary, Legislative Department(Hindi), Govt. of Rajasthan, Jaipur.

(57) 68

9. Secretary, Legislative Department(Hindi), Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
10. Secretary, Legislative Department(Hindi), Govt. of U.P., Lucknow.
11. President, Bar Association, High court of Rajasthan, Jaipur.
12. Presient, bar Association, High Court of Delhi, Delhi.
13. President, Delhi Bar Association, tis Hazari, Delhi.
14. Dean, Faculty of Law, university of Delhi, Delhi.
15. Dean, Faculty of Law,Ch. Charan Singh University, Meerut, UP.
16. Dean, Faculty of Law, Hamidia University, Bhopal.
17. Dean, Faculty of Law, University of Lucknow, Lucknow, UP.
18. Dean, Faculty of Law, University of Allahabad, Allahabad, UP.
19. Dean Faculty of Law, Agra University, Agra, UP.
20. Central Translation Bureau, 7th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi.
21. Incharge, NIC, Legislative Department with the request to upload this circular on the website of this Department.

(C. Mohandas)

Under Secretary to the Govt. of India

(6) **ANNEXURE**

(69

**PROFORMA**

1. Name of the Officer :
2. Post for which to be considered :
3. Date of Birth :
4. Educational Qualification :
5. Present post held (with pay scale and date of appointment) :
6. Permanent post held :
7. Brief particulars of service with nature of duties performed and experience :
8. Whether the officer belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribes community :
9. Present address :
10. Remarks :

Signature of the candidate

**DEPARTMENTAL ENDORSEMENT**

Certified that the information given by Shri/Smt./Ms. ..........................................is correct and his/her services, will be spared in the event of his/her selection for appointment by 'deputation' to the post of Assistant Editor in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice. He/She is clear from vigilance angle and no major/minor penalty has been imposed on him/her during the preceding 10 years. It is also certified that there is no doubt about the integrity of officer and cadre clearance in respect of him/her has already been obtained. Copies of last five years Annual Confidential Report in respect of the officer concern are enclosed.

Signature..........................
Name...............................
Designation........................
Department.........................

Date :

(78) (81)

फा. सं. ए.11011/1/2006-वि.सा.प्र.(प्रशा.)
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
विधि साहित्य प्रकाशन
*****

भारतीय विधि संस्थान भवन
भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली
तारीख 5 फरवरी, 2016

सेवा में,

......................................
......................................
......................................

विषयः विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन के आधार पर सहायक संपादक के तीन पदों पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में केन्द्रीय साधारण सेवा से संबंधित वेतन बैंड 3, तथा 15,600-39,100 रुपए जमा ग्रेड वेतन 6,600 रुपए (10,000-325-15,200 रु. पूर्व निर्धारित) के वेतनमान में सहायक संपादक समूह 'क' के तीन पद प्रायिक प्रतिनियुक्ति निबंधनों पर शीघ्रतापूर्वक भरे जाने हैं ।

2. नियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अल्पसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है )/आमेलन के आधार पर की जाएगी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8000-13500 रुपए (पूर्व निर्धारित) के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ;-

(अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री या समतुल्य ;

(ii) (क) उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष का विधि व्यवसाय ; या

(ख) न्यायिक सेवा में सात वर्ष का अनुभव ; या

(ग) राज्य सरकार के विधि विभाग में विधायन या विधि कार्य में सात वर्ष का अनुभव ; या

(घ) केन्द्रीय सरकार के विधायी विभाग में सात वर्ष का अनुभव ; या

(ङ.) विधि रिपोर्टों से संबंधित विभाग में संपादन का सात वर्ष का अनुभव ; या

(च) विधायी प्रारुपण का सात वर्ष का अनुभव ; या

(छ) मूल और अधीनस्थ विधान का हिंदी में अनुवाद का सात वर्ष का अनुभव ; या

(ज) विधि में अध्यापन या अनुसंधान में सात वर्ष का अनुभव ; या

(झ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और विधि में अध्यापन या अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव ; और

(आ) जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में पढ़े हो या समतुल्य और जिनके पास हिंदी में न्यायालय निर्णयों के अनुवाद और संपादन करने की योग्यता हो ।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 3.- प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

3 . यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे पात्र व्यक्तियों की, जो अपेक्षित अर्हता पूरी करते हैं और जिनके लिए उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता हो और जिन्हें तुरंत सेवामुक्त किया जा सकता हो,विशिष्टियां इसके साथ संलग्न प्रोफार्मा में इस प्रकाशन को उनके पिछले पाँच वर्ष की सतर्कता निर्बाधन और अद्यतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ इस प्रकार भेजें कि वे 'रोजगार समाचार' मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाएं ।

4. अनुरोध किया जाता है कि इसके व्यापक प्रचार के लिए रिक्ति को कृषि मंत्रालय, आदि के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों को भी सूचना दी जाए । उन अभ्यर्थियों को, जो उक्त पद के लिए आवेदन करते हैं आवेदन करने के पश्चात् उन्हें नाम वापस लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

सी.मोहनदास

(सी.मोहनदास.)
अवर सचिव, भारत सरकार

(72)(10)

प्रति निम्नलिखित को-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि पद को मंत्रालयो/विभागों में और साथ ही उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों को जिनके अंतर्गत उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संगठन भी हैं, व्यापक प्रचार के लिए परिचालित किया जाए ।
2. प्रधान सचिव, सभी राज्य सरकार को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे अपने प्रशानिक नियंत्रण के अधीन सभी विभागों में व्यापक प्रचार के लिए प्रचलित कर दें ।
3. निदेशक, रोजगार समाचार, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को व्यापक प्रचार देने के लिए "रोजगार समाचार" के आगामी अंक में तुरंत प्रकाशित करें । इसका अंग्रेजी पाठ संलग्न है ।
4. मुख्य संपादक, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. मुख्य संपादक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली ।
7. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा विभाग, आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।
8. सचिव, विधायी विभाग (हिन्दी) राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. सचिव, विधायी विभाग (हिन्दी) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
10. सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।
12. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली ।
13. अध्यक्ष, दिल्ली बार एसोसिएशन, तीस हजारी, दिल्ली ।
14. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
15. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, (उ.प्र.) ।
16. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, हमीदिया विश्वविद्यालय, भोपाल ।
17. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
18. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, (उ.प्र.) ।
19. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, (उ.प्र.) ।
20. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, सातवां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।

सी. मोहनदास

(सी.मोहनदास.)
अवर सचिव, भारत सरकार

## प्रोफार्मा

1. अधिकारी का नामः

2. पद, जिसके लिए विचार किया जाना है:

3. जन्म-तिथिः

4. शैक्षिक अर्हताः

5. वर्तमान धारित पद (नियुक्ति की तारीख वेतनमान सहित):

6. धारित स्थायी पदः

7. किए गए कार्यों की प्रकृति और अनुभव सहित, सेवा की संक्षिप्त विशिष्टियाः

8. क्या अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिः
   समुदाय से संबंधित है

9. वर्तमान पताः

10. टिप्पणियाः

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## विभागीय पृष्ठांकन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री................................................द्वारा दी गई जानकारी सही है और विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में सहायक संपादक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए उनका चयन होने की दशा में उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा । उसके विरूद्ध सतर्कता की दृष्टि से कोई मामला नहीं है और पिछले दस वर्ष के दौरान उस पर कोई मुख्य/अल्प शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है । संबंधित अधिकारी की पिछले पांच वर्षो की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट संलग्न हैं ।

हस्ताक्षर..............................

नाम..................................

पदनाम...............................

विभाग ...............................

तारीख :